

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 775

दिनांक 11/04/2022

प्रार्थीगण :-

1. रायचन्द्रराम 2. खुमाराम 3. देराजराम पि.  
गंगाराम, जाति जाट,  
निवासी देवाणियों का तला  
4. डालूराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट,  
निवासी आदर्श नगर  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1. वनाराम पुत्र शेराराम  
जाति जाट, निवासी भादूओं का तला  
2. हड़मानराम पुत्र मगाराम, जाति जाट,  
निवासी देवाणियों का तला  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 78/2021

दिनांक : 05.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नेतराड के मौजा भादूओं का तला के खेत खसरा सं. 108/44 रकबा 15.16 बीघा एवं मौजा आदर्श नगर के खसरा सं. 173/123 रकबा 77.03 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 776 to 779  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण रायचंद्रराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण वनाराम
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 11/04/2022



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चौहटन  
चौहटन